न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 35 / 2022

श्री छीतर बैरवा पुत्र श्री सांवला बैरवा निवासी लक्ष्मीपुरा उर्फ जान्यावास ग्राम पंचायत चन्दवाड तहसील दूनी जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 21.09.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली को प्रथम अपील प्रस्तुत करने पर उनके पत्र कमांक 4835 दिनांक 29.07.2022 से न्यायालय हाजा में प्रेषित की है। अपीलार्थी द्वारा लोंक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 25—06—2022 प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

सार्वजनिक तलाई एवं नाडी नाडा से अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्व गांव लक्ष्मीपुरा उर्फ जान्यावास ग्राम पंचायत चन्दवाड के जागरूक लोगो द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2022 को दिया गया था। दिये गये प्रार्थना पत्र पर श्रीमान के पत्र कमांक 472—73 दिनांक 04.05.2022 पर आप द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई। अब तक की गई कार्यावाही की समस्त पत्रावली की तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रमाणित जानकारी से अवगत करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी को पत्र किमांक 487 दिनांक 10.08.2022, 893 दिनांक 23.08.2022 व 997 दिनांक 07.09.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी द्वारा पत्र कमांकः आर.टी.आई. /2022/1568 दिनांक 09.09.2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक राजस्व/2022/1123 दिनांक 18.07.2022 व 1486 दिनांक 22.08.2022 से सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:48:46 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर टोंक